

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।

F14 () 2016/FCA/PCCF/CCF-IV Jaipur Dated 26.2.2018

सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग राजस्थान के अधिशासी अभियंता खण्ड शाहबाद बारा द्वारा Construction of BT road from Mamli Laxmipura to Patpadi में जिला बारा एवं उप वन संरक्षक बारा की कुल 01.14 है० वनभूमि के प्रत्यावर्तन हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेबपोर्टल OSMFWCP पर प्रस्ताव सं. **FP/RJ/ROAD/7127/2014** पर दिनांक 07.08.2016 को रजिस्टर किया गया है। मुख्य वन संरक्षक कोटा द्वारा प्रस्ताव में क्षेत्रीय कार्यालय लखनउ द्वारा चाही गई सूचना के अनुसार प्रस्ताव संशोधित कर भिजवाया गया है। प्रस्ताव का परीक्षण करने पर निम्नानुसार वस्तुस्थिति सामने आयी है।

A – Compliance of EDS dated 26.10.2017 is awaited:

1. बिन्दु संख्या 2 की पालना अपूर्ण। प्रस्ताव में संलग्न की गई KML file का एलायमेंट सही नहीं है उक्त को सही करते हुए संशोधित भूसंदर्भित मानचित्र जिसमें प्रस्तावित वन भूमि सभी कानर्स के जी०पी०एस० कोर्डिनेट्स दिये गये हो, संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।
2. बिन्दु संख्या 3 की पालना नहीं। क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना संलग्न की गई है जो श्रमिक दर 166/- प्रति मानव दिवस पर आधारित है वर्तमान में श्रमिक दरों (201/- प्रति मानव दिवस) में परिवर्तन हो चुका है एवं राज्य सरकार द्वारा राशि 155000/- प्रति है० का मॉडल भी अनुमोदित किया जा चुका है अतः क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना इसी अनुरूप आनी प्रस्तावित है।
3. बिन्दु संख्या 4 की पालना अपूर्ण। प्रस्ताव में क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण की स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
4. बिन्दु संख्या 3 में एन०पी०वी० की राशि की गणना संलग्न नहीं की गई है।

B- Additional information is required:

- 1 प्रस्ताव को डिजीटल देखे जाने पर प्रस्तावित वन भूमि में सडक निर्माण किया जा चुका है। उप वन संरक्षक उक्त के संदर्भ में वर्तमान स्थिति से अवगत करावे एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उलंघन के संदर्भ में अपनी स्पष्ट रिपोर्ट संलग्न करे।
- 2 सडक के कास सेक्शन
- 3 ऑरिजनल जी०टी०शीट

उक्त बिन्दुओं की सूचना 2 हार्ड प्रति में दिये जाने हेतु अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक कोटा को निर्देशित किया जाता है।


(D.K. GUPTA)
ACF (FCA)
JAIPUR